प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.04.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाजरब 01 अवैध तमन्चा बरामद तथा सह-अभियुक्त द्वारा पुलिस के दबाव में आकर पूर्व अभियोग में माननीय न्यायालय गौतमबुद्धनगर में किया आत्मसमर्पण ।

दिनांक 04.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिशनरेट गाजियाबाद पर वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री वीर सिंह निवासी सांई एन्कलेव काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गाजियाबाद की तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. विक्रम व 2.जयकरण पुत्रगण कृपाल उर्फ बरक्कत निवासीगण लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा वादी के पुत्र विकास उम्र करीब 24 वर्ष के साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नीयत से गोली मारकर व तमन्चे की बट मारकर घायल कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 109/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण का गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 07.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जयकरण पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर चित्रावन सोसाइटी से क्रॉसिंग जाने वाले रास्ते पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से आलाजरब 01 अवैध तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.04.2025 को कोर्ट पैरोकार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त विक्रम पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा अपने पूर्व के थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में हत्या के प्रयास के अभियोग में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस के दबाव में अपनी जमानत तुडवाकर माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर में आत्मसमर्पण किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर पर बताया कि मेरा व मेरे भाई विक्रम का झगडा लक्की से हुआ था उस झगडे मे विकास भी लक्की का साथ दे रहा था इसी कारण आवेश में आकर मेरे भाई विक्रम ने गोली चला दी जो विकास को लगी व मैंने इसी तमन्चे की बट से विकास के सर पर जान से मारने की नीयत से 2-3 बार वार किया जिससे विकास मौके पर ही गिर गया था और हम दोनों भाई मौके से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयकरण पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष ।

आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त का नाम व पता-

विक्रम पुत्र कृपाल उर्फ बरक्कत निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से आलाजरब 01 अवैध तमन्चा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त जयकरण व विक्रम के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत किया गाय है तथा अभियुक्त विक्रम के विरुद्ध थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में नकबजनी का 01 अभियोग, लूट का 01 अभियोग, हत्या का प्रयास के 02 अभियोग व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना नोएडा सेक्टर-49 पर लूट का 01 अभियोग, थाना विजयनगर गाजियाबाद पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग तथा क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या का प्रयास का 01 अभियोग व आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-10) अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा औधोगिक क्षेत्र मे खड़े वाहनों में से लोडिड माल चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के माल को बेचकर प्राप्त रूपये व घटना मे प्रयुक्त डीसीएम बरामद ।

दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री मदनलाल पुत्र घीसाराम चौधरी निवासी ग्राम मैड विराट नगर जयपुर,राजस्थान की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा लोहियानगर गाजियाबाद के पास खड़ी वादी की गाड़ी से 69 चीनी के कट्टे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 08.04.2025 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान दो अभियुक्त को डीपीएस के पीछे रास्ते पर टंकी से करीब 10 कदम दूर मेरठ रोड से चोरी के माल को बेचकर प्राप्त रूपये व घटना मे प्रयुक्त डीसीएम के साथ अन्तर्गत धारा 305(C)/317(2)/3(5) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब हम दोनों ने अपने साथी मुकेश गुप्ता के साथ मिलकर औधोगिक क्षेत्र में खड़े वाहनों से मौका पाकर सामान चोरी करते है। करीब एक सप्ताह पहले भी हमने मिलकर इण्डस्ट्रियल एरिया लोहियानगर से एक खडे ट्रक में से 69 चीनी के कट्टे चोरी किए थे। जिसे हमारे साथी मुकेश ने बेच दिया और हमें हमारे हिस्से के 20,000- 20,000 रुपये दिये थे जो आपने हमसे बरामद किए हैं। यह रुपये हमें चीनी बेचने के बाद बरामद हुए है।

नाम पता अभियुक्तगण

1.शिब्बू उर्फ शिवकुमार पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम हिंगवाडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 45 वर्ष

2. मनवीर पुत्र रुप सिह निवासी ग्राम हिंगवाडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष

बरामदी का विवरण

1. घटना मे प्रयुक्त डीसीएम रजि0. न0 UP 37BT 3890

2. चोरी के माल को बेचकर प्राप्त रूपये में से 20 – 20 हजार रुपये दोनों अभियुक्तगण से बरामद

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध थाना पिलखुवा हापुड़ पर बरामदगी व आर्म्स एक्ट के 01 - 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.04.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का घर से बिना बताये कहीं चले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा बरामद पीड़िता का उक्त अभियोग में मेडीकल परीक्षण एवं धारा 180/183 BNSS की कार्यवाही की गयी। पीडिता के बयानों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)(j)/61(2) बीएनएस व 3/4(2)/16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई तथा अभियुक्तगण 1. अर्श उर्फ एश पुत्र सलीम उम्र करीब 19 वर्ष 2. सरफराज पुत्र सलीम उम्र करीब 25 के नाम प्रकाश में आये। प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 07.04.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अर्श उर्फ एश पुत्र सलीम उम्र करीब 19 वर्ष 2. सरफराज पुत्र सलीम उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण मोहल्ला जमालपुरा राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र बंथला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त अर्श उर्फ एश ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीडिता एक-दूसरे को पिछले 02 वर्षों से जानते थे तथा हमारी आपस में बातचीत थी। मैं अपने भाई सरफाराज की मदद से पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर मैंने पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे। मैं अपने भाई सरफाराज की मदद से पीडिता को कहीं दूर ले जाना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अर्श उर्फ एश पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला जमालपुरा राशिद अली गेट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

2. सरफराज पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला जमालपुरा राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 08.04.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त राजकुमार पुत्र राधेश्याम निवासी अमरीश की भूस की टाल के पास चित्रकूट कॉलोनी थाना साहिबाबाद

गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पुत्र राधेश्याम उपरोक्त व हिरासत में लिए गये बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पुत्र राधेश्याम उपरोक्त व हिरासत में लिए गये बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि गिरफ्तार अभियुक्त व उसके साथी बाल अपचारी ने 01 मोटरसाइकिल UP14AN9052 को लगभग 10 दिन पहले परशुराम चौक वसुन्धरा से चोरी किया था व बाल अपचारी ने एक और मोटरसाइकिल UP37N4609 को वसुन्धरा से चोरी की थी। जिसे बाल अपचारी द्वारा वसुन्धरा अन्डरपास के पास बालाजी विहार के जंगल में छिपा दिया गया था। जिसे निशानदेही से बरामद किया गया। अभियुक्त व उसका साथी मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते है। जिन्हे सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजकुमार पुत्र राधेश्याम निवासी अमरीश की भूस की टाल के पास चित्रकूट कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त व हिरासत में लिए गये बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पुत्र राधेश्याम उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 03 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- हिरासत में लिए गये बाल अपचारी के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 07.04.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी इमरान अली द्वारा तहरीर दी गयी और बताया कि दिनांक 05.04.2025 को लुकमान, जुन्नी, अर्शी, नसरू मलिक, कैफ तथा अनस आदि ने मेरे भाई अमन को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है, प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त लुकमान, जुन्नी, अर्शी, नसरू मलिक, कैफ तथा अनस आदि के विरुद्ध धारा 191(2),190,333,324(4),115(2),352,351(2),109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आज दिनांक 08.04.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त

1. नसरू मलिक उर्फ नसरू कबाड़ी उर्फ नसरुद्दीन पुत्र स्वर्गीय छुट्टन निवासी फातिमा मस्जिद के पास मौलवी साहब के मकान में किराए पर गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष व 2. कैफ पुत्र जाहिद मलिक निवासी H444 गली नंबर 6 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को कब्रिस्तान रोड़ डी ब्लॉक शहाद नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नसरू मलिक व कैफ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त नसरू मलिक व कैफ उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 05.04.2025 की रात्रि में चौकी शहीद नगर क्षेत्र में अमन पुत्र इरफान अली एवं लुकमान, जुन्नी, अर्शी, नसरू मलिक, कैफ तथा अनस के मध्य पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें लुकमान, जुन्नी, अर्शी, नसरू मलिक, कैफ तथा अनस उपरोक्त ने अमन को चाकू मारकर घायल कर दिया और अभियुक्त उपरोक्त मौके से भाग गए। अमन के परिजन अमन को तत्काल इलाज हेतु जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली ले गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. नसरू मलिक उर्फ नसरू कबाड़ी उर्फ नसरुद्दीन पुत्र स्वर्गीय छुट्टन निवासी फातिमा मस्जिद के पास मौलवी साहब के मकान में किराए पर गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।
2. कैफ पुत्र जाहिद मलिक निवासी H444 गली नंबर 6 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरण

- गिरफ्तार अभियुक्त नसरू मलिक व कैफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर मारपीट कर चाकू मारकर घायल करने सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा लूट की झूटी सूचना देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 08.04.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पर डायल 112 के माध्यम से समय 10.31 बजे आवेदक श्री मनमोहन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिना नम्बर की बाईक सवार 02 लोगों ने कट्टा लगाकर 04 लाख रूपये छीन लिए हैं बाइक का नंबर प्लेट नहीं थी। उक्त सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो मौके पर आवेदक मनमोहन मिला। जो सचिन बंसल (एकाउन्टेन्ट) पुत्र स्व0 श्री मदन लाल निवासी बी 251 स्वर्णजयन्ती पुरम थाना मधुबन बापूधाम के यहाँ मुंशी का कार्य करता है। सचिन बंसल का दीपक त्यागी एवं ललित त्यागी से पैसो का लेनदेन रहता है। थाना पुलिस द्वारा आवेदक मनमोहन एवं सचिन बंसल से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। तो दोनो के द्वारा बार बार बयान बदलने के कारण घटना संदिग्ध व मनगढन्त प्रतीत हुई। घटना के सम्बन्ध में गहराई से जांच की गयी तो पीडित मनमोहन एवं सचिन बंसल दोनो के बयानो में काफी विरोधाभाष पाया गया। साथ ही मनमोहन के मोबाईल फोन से एक आडियो क्लिप घटना के बाद की प्राप्त हुई है। जिसमें सचिन बंसल द्वारा मनमोहन को पुलिस को गलत सूचना एवं गुमराह करने हेतु समझाया गया है।

पूछताछ का विवरण- कड़ाई से पूछताछ करने पर सचिन बंसल द्वारा लिखित में बताया कि मुझ पर श्री दीपक त्यागी के दो लाख रुपये थे। दीपक त्यागी पैसा देने के लिए दबाव बना रहा था।मेरे पास इस समय इतने पैसे नही थे। इस कारण हाल फिलहाल में राहत पाने के लिए मनमोहन से पैसे छिनने की घटना को डायल 112 पर सूचनी दी गयी थी।

उक्त घटना पुलिस को गुमराह व गलत सूचना करने की कोशिश की गयी है। इस तरह की झूठी सूचना के लिए जनमानस में भय व्याप्त कराने के लिए तथा भ्रामक सूचना देने के लिए इन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. मनमोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी स्वर्ण जंयतीपुरम मधुबन बापूधाम गाजियाबाद
2. सचिन बंसल पुत्र मदन लाल निवासी स्वर्ण जंयतीपुरम मधुबन बापूधाम गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 07.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 09:30 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 536 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया । इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी ।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-259 , ट्रांस हिंडन जोन-145 , तथा ग्रामीण जोन-132 कुल -536 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी ।